मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय से अभी तक 23 न्यायाधीश पहुंचे उच्चतम न्यायालय

मप्र की धरती से निकलकर उच्चतम न्यायालय तक का सफर किया तय

धनंजय श्रीवास्तव

जबलपुर, नवभारत। मप्र उच्च न्यायालय ने भारतीय न्यायपालिका को दिशा देने वाले अनेक न्यायाधीश दिए हैं। बता दे कि वर्ष 1956 में स्थापना के बाद से अब तक उच्च न्यायालय के 23 न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय तक पहुंचे, जिनमें से 5 ने देश के मुख्य न्यायाधीश के रूप में सर्वोच्च न्यायिक दायित्व संभाला। यह उपलब्धि मप्र उच्च न्यायालय की समृद्ध न्यायिक परंपरा और गुणवत्ता को रेखांकित करती है। उच्चतम न्यायालय में पहुंचे इन 23 न्यायाधीशों ने संवेदनशील और ऐतिहासिक मामलों में फैसले देकर न्याय व्यवस्था में जनता का भरोसा मजबूत किया। वहीं सीजेआई बने पूर्व जजों ने न्यायालय की कार्यप्रणाली में सुधार, पारदर्शिता और न्याय तक आसान पहुंच पर विशेष जोर दिया। इनके कार्यकाल में धारा 377 के तहत समलैंगिकता को अपराधमुक्त करने और तीन कृषि कानूनों पर रोक जैसे महत्वपूर्ण संवैधानिक-सामाजिक निर्णय हुए, जिनका प्रभाव आज भी दिखता है।

इन्होंने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में छुआ मुकाम

- एम हिदायतउल्लाह 25 फरवरी 1968 से 16 दिसंबर 1970
- जेएस वर्मा 25 मार्च 1997 से 18 जनवरी 1998
- आरसी लाहोटी 1 जून 2004 से 31 अक्टूबर 2005
- दीपक मिश्रा 28 अगस्त 2017 से 2 अक्टूबर 2018
- शरद अरविन्द बोबड़े 18 नवंबर 2019 से 23 अप्रैल 2021

मप्र उच्च न्यायालय से पहुंचे उच्चतम न्यायालय

- एपी सेन 17 जुलाई 1978 से 19 सितंबर 1988
- जीएल ओझा 29 अक्टूबर 1985 से 11 दिसंबर 1989
- एनडी ओझा 18 जनवरी 1988 से 18 जनवरी 1991
- फैजानुद्दीन 14 दिसंबर 1993 से 4 फरवरी 1997
- एके माथुर 07 जून 2004 से 14 अगस्त 2005
- डीएम धर्माधिकारी 5 मार्च 2002 से 14 अगस्त 2005
- पीपी नावलेकर 28 जुलाई 2004 से 29 जून 2008
- आरवी रवीन्द्रन 09 सितंबर 2005 से 15 अक्टूबर 2011
- दीपक वर्मा 11 मई 2009 से 28 अगस्त 2012
- एके पटनायक 17 नवंबर 2009 से 3 जून 2014
- सीके प्रसाद 08 फरवरी 2010 से 14 जुलाई 2014
- अरुण मिश्रा 07 जुलाई 2014 से 2 सितंबर 2020
- एएम सप्रे 13 अगस्त 2014 से 27 अगस्त 2019
- एएम खानविलकर 13 मई 2016 से 29 जुलाई 2022
- हेमंत गुप्ता 02 नवंबर 2018 से 16 अक्टूबर 2022
- जेके माहेश्वरी 31 अगस्त 2021 से अभी तक
- एससी शर्मा 09 नवंबर 2023 से अभी तक
- आलोक अराधे 29 अगस्त 2025 से अभी तक

मुख्य न्यायाधीश बने बिना पहुंचे उच्चतम न्यायालय

बता दे कि स्थापना के बाद से मप्र उच्च न्यायालय के 29 में से 22 चीफ जस्टिस उच्चतम न्यायालय तक पहुंचे। उल्लेखनीय है कि आरसी लाहोटी ऐसे पहले न्यायाधीश रहे, जो चीफ जस्टिस बने बिना सीधे उच्चतम न्यायालय पहुंचे थे। परंपरा के अनुसार उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश बनने के बाद सुप्रीम कोर्ट जाने का रास्ता खुलता है, लेकिन मप्र उच्च न्यायालय के इतिहास में आरसी लाहोटी अपवाद रहे। मप्र उच्च न्यायालय के बाद उनका ट्रांसफर दिल्ली उच्च न्यायालय हुआ और 9 दिसंबर 1998 को वे उच्चतम न्यायालय पहुंचे। 31 अक्टूबर 2005 को उन्होंने सीजेआई पद से सेवानिवृत्ति ली थी।

इनका कहना है

जस्टिस एम हिदायतउल्लाह, जस्टिस आरसी लाहोटी एवं अन्य महान जज जो मप्र की धरती से निकलकर न्याय के शीर्ष पायदान तक पहुंचे है, इनके द्वारा किए गए कार्यों को हमेशा याद रखा जाएगा। मप्र की धरती हमेशा से ही विद्वानों की भूमि रही है।

अधिवक्ता शशांक शेखर
पूर्व महाधिवक्ता, मप्र उच्च न्यायालय, जबलपुर

गौरीघाट स्टेशन पर रुकेंगी ट्रेनें

जबलपुर, नवभारत। रेलवे ने जबलपुर के नर्मदा तट पर मकर संक्रांति, नर्मदा जयंती व बसंत पंचमी पर भरने वाले विशाल मेले में बड़ी संख्या में आने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 8 ट्रेनों का अस्थायी हाल्ट घोषित किया है। दक्षिण-पूर्व-मध्य रेलवे बिलासपुर जोन ने इस संबंध में एक आदेश जारी कर दिया है। साथ ही जिन गाडियों का हाल्ट दिया गया है, उसकी तारीख, समय व विस्तृत समय सारिणी भी जारी की है जारी आदेश में 13 जनवरी से 15 जनवरी तक फिर बसंत पंचमी के अवसर पर 22 जनवरी से 26 जनवरी तक हाल्ट रहेगा। जबलपुर से गुज़रने वाली 11201/02 नागपुर शहडोल, 11755/56 इतवारी रीवा, 11753/54 रीवा एक्सप्रेस, 22173/74 जबलपुर चांदाफोर्ट एक्सप्रेस जैसी ट्रेने शामिल है।

ट्रक में लोड 850 बॉक्स अनार का गबन

अमानत में ख्यानत का प्रकरण दर्ज

जबलपुर। अमानत में ख्यानत कर ट्रक में लोड 850 बॉक्स अनार अवैध लाभ अर्जित करने सुनियोजित तरीके से बेचने का मामला सामने आया है। शहपुरा पुलिस ने रिपोर्ट पर चालक एवं क्लीनर के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार देर रात बलकार सिंह भट्टी 48 वर्ष निवासी धरती फल मंडी शेख पीर चौक के पास भुज गुजरात ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय करता है। उसके द्वारा 1195 बाक्स अनार के भरकर झारखंड भेजा जाना था। उसने सिंधु भट्टी भुज गुजरात ट्रांसपोर्ट के द्वारा जबलपुर में श्री गुरूकृपा ट्रांसपोर्ट के संचालक ओमकार पटैल के माध्यम से उक्त माल को गुजरात से झारखण्ड ट्रांसपोर्ट करने ट्रक क्रमांक एमएच 40 सीटी 3732 लगाई थी गाड़ी उक्त ट्रांसपोर्ट के लिये लगाई गयी थी उक्त गाड़ी का मालिक तुषाय कुशवाहा ,चालक आफताब खान एवं क्लीनर दानिश था। उक्त ट्रक में 1195 अनार बाक्स को भरवाकर उसने अपने सिंधु भट्टी भुज गुजरात ट्रांसपोर्ट से झारखंड के लिये रवाना किया। उक्त ट्रक के चालक आफताब खान ने जानकरी दी कि जिस ट्रक पर अनार लादकर भेजा गया था जो पाटन ब्रिज के पास हाईवे रोड शहपुरा रोड शहपुरा में रात के समय गाय आ जाने के कारण ट्रक अनियंत्रित होकर गड्ढे में चला गया जिससे गाड़ी में नुकसान हुआ है। गाड़ी में लोड अनार गिर कर बिखर गये, ट्रक पलटने से अनार के 1195 बाक्स में से केवल 345 अनार के बाक्स बचे हैं बाकी के 850 अनार के बाक्स खराब हो गये हैं उक्त घटना की जानकारी लेने जबलपुर आया उसे पता चला कि जिस जगह पर उसे एक्सीडेंट की घटना बतायी थी, वहाँ किसी प्रकार के कोई ट्रक पलटने या एक्सडेंट नहीं होना पाया गयां उसे पता चला कि ट्रक मालिक तुषाय कुशवाह, ट्रक डाईवर आफताब खान एंव क्लीनर दानिश ने मिलकर ट्रक में लोड 850 बॉक्स अनार अवैध लाभ अर्जित करने सुनियोजित तरीके से किसी और को बेच दी है।

अवैध कॉलोनाइजरों पर कसेगा शिकंजा : निगमायुक्त

नवभारत,जबलपुर। शहर को सुंदर, व्यवस्थित और धोखाधड़ी मुक्त बनाने की दिशा में नगर निगम ने एक बड़ा कदम उठाया है। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार ने कॉलोनी सेल की समीक्षा बैठक में स्पष्ट किया है कि शहर के भविष्य और नागरिकों की मेहनत की कमाई से खिलवाड़ करने वाले अवैध कॉलोनाइजरों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।अक्सर देखा जाता है कि अवैध कॉलोनियों में बुनियादी सुविधाओं (सड़क, नाली, बिजली) के अभाव के कारण आम जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या को जड़ से खत्म करने के लिए निगमायुक्त ने त्रि-स्तरीय रणनीति तैयार की है।अवैध निर्माण करने वालों के विरुद्ध तत्काल नोटिस और एफ.आई.आर. दर्ज करने के निर्देश दिए गए हैं। अवैध रूप से विकसित की जा रही साइट्स पर चल रहे निर्माण कार्य को तुरंत हटाने की कार्रवाई की जाएगी। आम जन को धोखाधड़ी से बचाने के लिए जिला पंजीयक और संबंधित एस.डी.एम.को सूचित किया जाएगा, ताकि ऐसी कॉलोनियों में रजिस्ट्री और नामांतरण को रोका जा सके। बैठक में अपर आयुक्त अरविंद शाह, देवेन्द्र सिंह चौहान एवं प्रभारी कॉलोनी सेल सुनील दुबे आदि उपस्थित रहे।

तहसीलदार-आईपीएस समेत टीम को धमकाने वाला गिरफ्तार

पुलिस-प्रशासनिक अमले पर हाईवा चढ़ाने गुर्गों को उकसाया

जबलपुर। जबलपुर-नागपुर मार्ग पर टोल गेट के पास बरगी अंतर्गत राजस्व व खनिज विभाग की संयुक्त कार्यवाही के दौरान शासकीय कार्य में बाधा डालने के साथ तहसीलदार, आईपीएस अफसर समेत उनकी पूरी टीम को धमकाने और अमले पर हाईवा चढ़ाने गुर्गों को उकसाने वाले आरोपी रोहित जैन को बरगी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है जिसे शनिवार को कोर्ट में पेश किया गया।

जानकारी के मुताबिक खनिज, राजस्व और पुलिस दल के संयुक्त दल द्वारा मानेगांव में दबिश दी थी। एम सैंड एवं गिट्टी का बिना उचित पारपत्र के क्षमता से अधिक ओवरलोड परिवहन किए जाना पाए जाने से मौके से तीन हाईवा वाहनों को जप्त किए गए थे। तहसीलदार जबलपुर रविन्द्र पटेल के नेतृत्व में की गई। हाईवा जब थाने ले जाये जा रहे थे तभी जबलपुर नागपुर मार्ग पर टोल नाके के पास रोहित जैन एवं उनके साथियों द्वारा रोके जाने पर अतिरिक्त पुलिस बल बुलवाकर वाहनों को थाना बरगी भेजा गया था। मामले में कलेक्ट्रेड कार्यालय में पदस्थ खनिज निरीक्षक विवेकानंद यादव ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि 9 जनवरी को खनिज व राजस्व अमले की सयुंक्त कार्यवाही दौरान 3 हाईवा वाहनों को बरगी थाने ले जाने के दौरान जबलपुर नागपुर मार्ग पर टोल गेट के कुछ दूर पहले रोहित जैन अपने साथियों के साथ पहुंचा अपने काले रंग के फार्चुनर वाहन को जप्त शुदा वाहन के सामने खड़ा कर दिया था और वाहनों को मौके पर रोक कर संयुक्त टीम से अभद्रता कर टीम के ऊपर हाईवा चढ़ा देने के लिए अपने हाईवा ड्राईवर को बोला था। मौके पर भारी तनाव की स्थिति बन गई थी।

स्वत्वाधिकारी रामगोपाल इन्वेस्टमेंट प्राईवेट लिमिटेड हेतु लेसी एंगेज मीडिया प्रा.लि. के लिए आशीष श्रोती द्वारा प्रेस कॉम्प्लेक्स सिविक सेंटर जबलपुर से प्रकाशित एवं हितकारिणी प्रिंटिंग प्रेस सिविक सेंटर जबलपुर से मुद्रित. स्थानीय संपादक अविनाश दीक्षित*, *समाचार चयन के लिए पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत जिम्मेदार, फोन-0761-4109072, E mail-navbharat.418@gmail.com पो.रजि.नं.201-04/2003 RIN Reg No.1537/57